गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं से पीड़ित सदस्यों को मिला न्याय

सी.के. सिसौदिया

गृह निर्माण सहकारी समितियों से पीड़ित उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के निर्देशों के पालन में की जा रही सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई के सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। इस कार्रवाई से अभी तक सवा दो हजार से अधिक पीड़ित व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। यह कार्रवाई निरंतर जारी है और शीघ्र ही अन्य पीड़ित व्यक्तियों को भी इस मुहिम का लाभ मिलेगा।

अपने आवास का सपना संजोए कई व्यक्तियों को गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आवासीय भूखंड उपलब्ध नहीं कराए गए। ऐसे व्यक्ति आवासीय भूखंड प्राप्त करने के लिए लम्बे समय से परेशान थे और अपनी समस्या के समाधान के लिए भटक रहे थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने जब नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए **जनसुनवाई** व्यवस्था की शुरुआत की तब ऐसे पीड़ित लोगों ने इस नई व्यवस्था के तहत अपनी समस्या के समाधान के लिए आवेदन किए। जनसुनवाई में जिला प्रशासन को अब तक भोपाल की 169 गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं से संबंधित 1570 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 985 शिकायतों के जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं। कलेक्टर श्री शिव शेखर शुक्ला द्वारा प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए अपर कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी नियमित रूप से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की कार्रवाई कर रही है।

कमेटी द्वारा लिए गए निर्णयों के तहत अभी तक 17 सहकारी संस्थाओं के भूखंडों के क्रय-विक्रय और चार संस्थाओं के भवन अनुमति पर रोक लगाई गई है। 17 संस्थाओं के पदाधिकारियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जाँच प्रकरणों के आधार पर उप आयुक्त सहकारिता द्वारा 18 सहकारी समितियों के 100 पदाधिकारियों के विरुद्ध सहकारिता अधिनियम की धारा 76 (2) के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। सात गृह निर्माण समितियों के संचालक मंडलों को हटाकर प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। दो संस्थाओं के दोषी पदाधिकारियों से राशि वसूलने हेतु प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। तीन संस्थाओं के पूर्व व वर्तमान 12 पदाधिकारियौंसंचालकों को उनकी प्राथमिक सदस्यता से हटाने और तीन समितियों के पाँच पदाधिकारियों को उनके पद से निर्हरित करने की कार्रवाई की जा रही है।

जनसुनवाई के तहत हुई इस प्रभावी कार्रवाई से विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों के 1051 सदस्यों को भूखंड आवंटन की सुनिश्चितता के साथ ही 1172 सदस्यों को एक करोड़ 21 लाख रुपये की राशि वापस करने की कार्रवाई जारी है। अभी तक 14 समितियों के 82 सदस्यों को करीब 51 लाख रुपये की राशि ब्याज सहित वापस की जा चुकी है।

विगत नौ नवम्बर को मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के आवास पर उनकी उपस्थिति में इस कार्रवाई से लाभान्वित 20 व्यक्तियों को संबंधित समितियों के पदाधिकारियों ने भूखंड आवंटन के अधिकार-पत्र सौंपे।

कार्रवाई की सतत मानीटरिंग के लिए आयुक्त भोपाल संभाग डॉ. पुखराज मारू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। यह समिति नियमित रूप से की जा रही कार्रवाई की समीक्षा और कठिनाइयों का समाधान कर रही है।

(लेखक उप संचालक, जनसंपर्क भोपाल हैं।)

❖